हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 11 मार्च, 2015 को माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

11.3.2015/1100/JT-AG/KS-AV/1

महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यगण

1- हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में मुझे आप सबको सम्बोधित करते हुए प्रसन्नता हो रही है। मैं हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ। मैं इस वर्ष के पहले सत्र तथा हिमाचल प्रदेश की 12वीं विधानसभा के 8वें सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ।

2- माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने 25 दिसम्बर, 2012 को सत्ता संभाली तथा तभी से क़डी मेहनत कर सरकार ने इन दो वर्षो की अवधि में अभूतपूर्व उपलब्धियां अर्जित की हैं। कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र को नीति दस्तावेज के रूप में अपनाया गया तथा इसमें किए गए अधिकांश वायदों को मेरी सरकार द्वारा पहले ही पूरा कर दिया गया है।

3- मेरी सरकार शिक्षा को विशेष प्राथमिकता दे रही है, तथा प्रदेश में सभी बच्चों को शिक्षा सुलभ कराने के लिए प्रतिबध्द है। इसी उद्देश्य से सरकार ने गत दो वर्षों में 100 नए प्राथमिक स्कूल खोले तथा 160 प्राथमिक पाठशालाओं को माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत किया है। विगत दो वर्षों में 6 छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के लिए 7.74 करोड रुपये की धन राशि व्यय की गई । पहली से 8वीं कक्षाओं तक के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठय पुस्तकें प्रदान करने पर 15.6 करोड रुपये व्यय किए गए ।

4- प्रदेश में शैक्षणिक स्तर में सुधार की वचनबध्दता के अनुरूप, मेरी सरकार ने पैरा अध्यापकों की सेवाओं को नियमित किया है। 10 वर्षों का नियमित सेवाकाल पूरा करने वाले 684 टीजीटी तथा 695 सी एण्ड वी पैरा अध्यापकों की सेवाएं नियमित की गई हैं। इसी प्रकार पी.टी.ए. अध्यापकों को अनुबंध पर लाने के निर्णय को कार्यान्वित किया गया है । अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए मेरी सरकार ने गत दो वर्षों में 1292 टी.जी.टी., 728 सी एण्ड वी तथा 1177 जे.बी.टी. अध्यापकों की नियुक्ति की तथा 276 जे.बी.टी. को टी.जी.टी. तथा 25 जेबीटी को एल.टी. में पदोन्नत किया है।

5- मेरी सरकार ने गत दो वर्षों में 234 माध्यमिक पाठशालाओं को उच्च तथा 225 उच्च पाठशालाओं को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत किया है। इसके अतिरिक्त, प्रदेश में 14 नए महाविद्यालय खोले गए हैं। वर्ष 2014-15 की अवधि में उच्च पाठशालाओं के लिए 788 पद तथा नई स्तरोन्नत वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के लिए 1260 पद सृजित किए गए हैं।

6- अध्यापकों तथा अन्य स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए दिसम्बर, 2014 तक शिक्षक व गैर शिक्षक स्टाफ की 954 रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा तथा 905 रिक्तियां पदोन्नति द्वारा भरी गई हैं। जनवरी, 2015 में 1733 पी.टी.ए. प्राध्यापकों/डी.पी.ई. की सेवाओं को पी.जी.टी./डी.पी.ई. के रूप में अनुबंध आधार पर लिया गया है तथा 591 पैरा प्राध्यापकों/डी.पी.ई. को नियमित किया गया है।

7- उच्च शिक्षा के अन्तर्गत 11 राज्य प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत 412 छात्रों में 50.89 लाख रुपये की राशि वितरित की गई । इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछ़डा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय के 13692 छात्र केन्द्रीय प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाओं से लाभान्वित हुए तथा इस पर 30.21 करो़ड रुपये की राशि खर्च की गई ।

8- मेरी सरकार पहली से आठवीं कक्षा तक के सभी छात्रों को निःशुल्क पाठय पुस्तकें प्रदान कर रही हैं। यह सुविधा नवीं तथा दसवीं कक्षा में प़ढने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछ़डा वर्ग तथा आई.आर.डी.पी. श्रेणी के छात्रों को भी उपलब्ध हैं। इस पर इस वर्ष 9.93 करो़ड रुपये खर्च किए गए हैं तथा 1 लाख 16 हजार 924 छात्र लाभान्वित हुए हैं।

9- महात्मा गांधी वर्दी योजना के अन्तर्गत नवीं तथा दसवीं कक्षा में प़ढ रहे सभी विद्यार्थियों को वर्दी के दो जो़डे निःशुल्क उपलब्ध किए जा रहे हैं। इस पर 2014-15 के दौरान 14 करो़ड रुपये खर्च किए गए हैं।

10- राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा के अन्तर्गत सत्र 2013-14 से प्रदेश की 100 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में व्यवसायिक शिक्षा आरम्भ की गई है। वर्ष 2014-15 में 100 अतिरिक्त वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में इसे सात विषयों/ट्रेड में आरम्भ किया गया है। योजना के अन्तर्गत विभिन्न व्यवसायिक प्रशिक्षण सहभागियों द्वारा 600 व्यवसायिक अध्यापकों/प्रशिक्षकों को तैनात किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 20 हजार विद्यार्थी पंजीकृत हुए हैं।

11- मेरी सरकार ने 2013-14 से ही 90 तथा 10 प्रतिशत अनुपात में वित्त पोषित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान लागू किया है। सरकार ने शिक्षा गुणात्मक सुधार प्रणाली लागू करने के लिए राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद का गठन किया है। सरकारी, निजी, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त तथा संस्कृत महाविद्यालयों में स्नातक कक्षाओं में समेस्टर प्रणाली तथा विकल्प आधारित आकलन प्रणाली आरम्भ की है। सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को वर्ष 2014-15 के लिए 8.85 करोड़ रुपये अनुदान की पहली किश्त जारी कर दी गई हैं।

12- वर्ष 2014-15 के दौरान तकनीकी संस्थानों में कुल 36 हजार 633 विद्यार्थी पंजीकृत हुए हैं। प्रदेश में तकनीकी संस्थानों में प्रति लाख जनसंख्या पर सीटों की संख्या राष्ट्रीय औसत से अधिक है। अगस्त, 2013 से समेस्टर तथा ओ.एम.आर. परीक्षा प्रणाली लागू की गई हैं। प्रदेश में सरकारी तथा निजी प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षुओं की 6 हजार 192 सीटें उपलब्ध हैं।

13- राजकीय पॉलटेक्निक सुन्दरनगर में दक्षता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत अगस्त 2014 से सामुदायिक कॉलेज शुरू किया गया है। डिप्लोमा धारकों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करवाने के लिए अगस्त, 2014 से तीन महीने के लिए दो घंटे प्रतिदिन की अवधि का सम्प्रेषण दक्षता प्रशिक्षण मॉडयूल आरम्भ किया गया है।

14- मेरी सरकार समाज के उपेक्षित तथा कमजोर वर्गों, विशेषकर महिलाओं व बच्चों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबध्द है।

योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन तथा महिलाओं व बच्चों को समय पर लाभ प्रदान करने के लिए मेरी सरकार ने वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान महिला सशक्तिकरण एवं बाल कल्याण के लिए 103.24 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है।

15- प्रदेश में 3 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों में कुपोषण कम करने तथा बच्चों व महिलाओं में अनीमिया में कमी लाने के लिए 'एकीकृत बाल विकास योजना' को एक मिशन के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। मेरी सरकार ने गत वर्ष में पूरक पोषाहार प्रदान करने के नियमों में भी संशोधन किया है।

16- सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, बेटी है अनमोल, माता शबरी महिला सशक्तिकरण योजना, विधवा पुनर्विवाह आदि जैसी योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आय सीमा को भी संशोधित किया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायकों द्वारा दी जा रही विभिन्न प्रकार की सेवाओं के दृष्टिगत मेरी सरकार ने इनके अतिरिक्त मानदेय में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है।

17- 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के सर्वांगीण विकास, किशोरियों तथा गर्भवती एवं धात्री माताओं के लिए सरकार द्वारा आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के अन्तर्गत सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान किया जा रहा है, जिसमें स्कूल पूर्व शिक्षा, पूरक पोषाहार तथा स्वास्थ्य जांच शामिल है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान इस योजना के

अन्तर्गत 4 लाख 55 हजार 289 बच्चे, 1 लाख 2 हजार 830 गर्भवती एवम् धात्री महिलाएं तथा 1 लाख 38 हजार 884 किशोरियां लाभान्वित हुई हैं।

18- मेरी सरकार ने राज्य बाल अधिकार आयोग को भी क्रियाशील बनाया है। यह आयोग असहाय एवं असुरक्षित बच्चों की देखभाल एवम् उनको समाज की मुख्य धारा से जो़डने हेतु प्रयत्नशील है। इसी क़डी में सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान शिमला, मण्डी, कांग़डा तथा चम्बा जिलों में चार जिला बाल सुरक्षा इकाइयां स्थापित की हैं। सरकार द्वारा सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित एवम् पंजीकृत 21 बाल गृहों के माध्यम से 751 जरूरतमंद बच्चों को संस्थागत देखभाल भी उपलब्ध करवाई जा रही है।

19- माननीय सदस्यगणों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मेरी सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर 235 करो़ड रुपये खर्च कर रही है । विभिन्न श्रेणियों के 3 लाख 4 हजार 921 लोगों को पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है। 79 आयु वर्ग तक के पात्र लोगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 500 रुपये प्रतिमाह से ब़ढाकर 550 रुपये प्रतिमाह किया गया है तथा 80 वर्ष से अधिक के पात्र लोगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को प्रथम अप्रैल, 2013 से 800 रुपये से ब़ढाकर 1000 रुपये प्रतिमाह किया गया है। 70 प्रतिशत से अधिक अपंगता वाले व्यक्तियों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को प्रथम अप्रैल, 2014 से 550 रुपये से ब़ढकार 750 रुपये प्रतिमाह किया गया है। प्रथम अप्रैल, 2014 से 12 हजार नए लाभार्थियों

को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के सभी मामले निपटा लिए गए हैं।

20- सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछ़डा वर्ग के लोगों को नए आवास निर्माण के लिए 75 हजार रुपये तथा आवास की मुरम्मत के लिए 25 हजार रुपये स्वीकृत किए जा रहे हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे 2417 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं।

21- मेरी सरकार जातिवाद को हतोत्साहित करने के लिए अन्तरजातीय विवाह के लिए पुरस्कार स्वीकृत कर रही है। अन्तरजातीय विवाह अनुदान को 25 हजार से ब़ढाकर 50 हजार रुपये किया गया है।

22- अपंग व्यक्तियों के कौशल विकास के लिए चिन्हित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न ट्रेडों में निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। ऐसे प्रशिक्षुओं को 1000 रुपये प्रतिमाह की दर से स्टाईफंड दिया जा रहा है।

23- मेरी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 200 या इससे अधिक जनसंख्या वाले तथा 40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या के दो गांवों को चयनित किया गया है। प्रत्येक ऐसे गांव को एकीकृत अधोसंरचनात्मक विकास के लिए 10 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं।

योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत 12.31 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा रही है।

24- सभी को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए मेरी सरकार ने 30 नवम्बर, 2014 तक ए.पी.एल., बी.पी.एल., अन्त्योदय अन्न योजना तथा अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 18 लाख 6 हजार 758 राशनकार्ड धारकों को 3 लाख 79 हजार 405 मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किए हैं। 4 796 उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है। सरकार ने प्रदेश के उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए टोल फ्री हेल्पलाईन शुरू की है।

25- मेरी सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू किया जा रहा है। इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रदेश के 36.82 लाख लोगों को लक्षित किया गया है, जिनमें से 32.98 लाख लाभार्थियों को चिन्हित किया गया है और उन्हें कम दरों पर राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को 20 किलो गेहूं 2 रुपये प्रति किलो की दर से तथा 15 किलो चावल 3 रुपये प्रतिकिलो की दर से प्रति राशन कार्ड प्रतिमाह उपलब्ध किया जा रहा है । इसी प्रकार बी.पी.एल. परिवारों को 3 किलो गेहूं 2 रुपये प्रति किलो तथा 2 किलो चावल 3 रुपये प्रति किलो प्रति व्यक्ति प्रतिमाह की दर से उपलब्ध किया जा रहा है। अन्नपूर्णा एवं तिब्बती परिवारों, वृृध्दावस्था पेंशनरों, अक्षमता पेंशनरों तथा कुष्ठ रोगी पेंशनरों को भी इसमें शामिल किया गया है।

26- मेरी सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत प्रति सदस्य पात्रता के स्थान पर बी.पी.एल. परिवारों को 35 किलो खाद्यान्न प्रति राशनकार्ड उपलब्ध करवा रही है। अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध करवाने पर राज्य सरकार 19 करोड़ रुपये प्रति वर्ष व्यय कर रही है।

27- प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के ए.पी.एल. परिवारों को 35 किलो खाद्यान्न, जिसमें 20 किलो गंदम आटा तथा 15 किलो चावल शामिल है, भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसी प्रकार, प्रदेश के अन्य भागों में रह रहे ए.पी.एल. परिवारों को प्रतिमाह 20 किलो खाद्यान्न, जिसमें 14 किलो गंदम आटा तथा 6 किलो चावल शामिल हैं, उपलब्ध करवाया जा रहा है।

28- मेरी सरकार राज्य उपदान योजना के अन्तर्गत सभी राशनकार्ड धारकों को निर्धारित दरों पर तीन दालें, दो खाद्य तेल तथा एक किलो आयोडीनयुक्त नमक प्रदान करने के लिए वचनबध्द है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान इस पर 200 करोड़ रुपये से अधिक की राशि व्यय होगी।

29- ई.पी.डी.एस. परियोजना के अन्तर्गत खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने 15 लाख राशनकार्ड फार्मों को सफलतापूर्वक डिजीटल किया है, जो कुल राशनकार्डों का लगभग 88 प्रतिशत है।

30- गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, सामुदाय सशक्तिकरण, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मानव एवं अन्य आर्थिक संसाधनों का विकास

मेरी सरकार की प्राथमिकताएं हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

31- राज्य सरकार ने ग्राम सभाओं के माध्यम से बी.पी.एल. सूची की व्यापक समीक्षा की है, जिसमें से 31 हजार 311 अपात्र परिवारों को हटाया गया है और उनके स्थान पर पात्र निर्धन परिवारों को शामिल किया गया है। सरकार ने राजीव आवास योजना के अन्तर्गत 1333 आवास स्वीकृत किए हैं। इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को 75 हजार रुपये प्रति इकाई की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अलावा इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत इस वर्ष 4688 आवासों को स्वीकृत किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत 321 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है तथा लगभग 4 लाख परिवारों को रोजगार प्रदान कर 138.63 लाख श्रम दिवस सृजित किए गए हैं।

32- पंचायत स्तर पर ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन को कार्यान्वित करने के लिए 65.85 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा विभिन्न पुरस्कार योजनाओं के माध्यम से स्वच्छता अभियान में सभी हितधारकों की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। इसके लिए लगभग 3.67 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाई गई है।

33- प्रदेश में चरणबध्द ढंग से पांच व्लॉकों में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्तमान वर्ष के दौरान 7.84 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत की गई है। इसके

तहत कुल 8 हजार महिला स्वयं सहायता समूहों को 48 करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।

34- मेरी सरकार पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ करने के प्रति वचनबध्द है, जिसके लिए राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 के लिए 51 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत भवनों की मुरम्मत/स्तरोन्यन तथा बिलासपुर, कांग़डा, किन्नौर तथा शिमला जिलों में जिला संसाधन केन्द्रों के भवनों के निर्माण के लिए 5.08 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश की 11 जिला परिषदों, 65 पंचायत समितियों तथा 2609 ग्राम पंचायतों ने पी.आर.आई.ए. अकाउंटिंग साफ्टवेयर में अपने खाते कायम करने शुरू कर दिए हैं। सभी पंचायत अभिलेखों का कम्प्यूट्रीकरण किया जाना प्रस्तावित है।

35- पिछ़डा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत इस वर्ष चम्बा तथा सिरमौर जिलों के लिए 33.51 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। चम्बा जिले के लिए 951 कार्य/योजनाएं तथा सिरमौर जिले के लिए 923 कार्य/योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इसके अतिरिक्त 5420 निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं पंचायत कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

36- मेरी सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के प्रति वचनबध्द है। इस उद्देश्य के लिए 15 स्वास्थ्य संस्थानों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है तथा अतिरिक्त 74 संस्थानों का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, 7 नए नागरिक अस्पताल, 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 31 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 5 स्वास्थ्य उप केन्द्र

खोले गए हैं। प्रदेश के 11 स्वास्थ्य संस्थानों में सी.टी. स्कैन सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।

37- चिकित्सकों तथा पैरा मेडिकल कर्मियों की कमी को पूरा करने के लिए वर्ष के दौरान विशेषज्ञों सहित 400 नए चिकित्सा अधिकारी, 112 फार्मासिस्ट, 258 स्टाफ नर्स, 7 रेडियोग्राफर तथा 194 तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति की गई है। लगभग 50 चिकित्सा अधिकारी, 73 स्टाफ नर्स तथा 200 अन्य पैरा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रगति पर है।

38- प्रदेश में चिकित्सकों की उपलब्धता ब़ढाने के लिए केन्द्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में हमीरपुर, चम्बा तथा नाहन में सरकारी क्षेत्र में 3 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है। डा. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज टांडा में एक सुपरस्पेशियलिटी व्लॉक पूरा कर दिया गया है तथा वर्तमान में पांच विभागों में सुपरस्पशियलिटी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में 150 करो़ड रुपये की अनुमानित लागत से एक सुपरस्पेशियलिटी व्लॉक का निर्माण किया जा रहा है।

39- चम्बा में एक नया सामान्य नर्सिंग मिडवाईफ्री स्कूल स्थापित किया जा रहा है, जिसके लिए 3 करो़ड रुपये जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त कुल्लू में भी एक नया सहायक नर्सिंग मिडवाईफ्री स्कूल स्थापित किया जा रहा है। प्रदेश में मौजूदा सरकारी सामान्य नर्सिंग

एवं मिडवाईफ्री स्कूलों को सुदृढ करने के लिए 7 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

40- आयुष उपचार प्रणाली को प्रचलित करने तथा लोगों को इस प्रणाली के बारे में अवगत करवाने के लिए 2014-15 के दौरान प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर 27 निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाए गए, जिसमें 40 हजार 919 रोगियों का उपचार किया गया। वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 44 आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों तथा 3 होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई। कांग़डा, चम्बा तथा शिमला जिले में तीन नए आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्र खोले गए, जिनके संचालन हेतु विभिन्न श्रेणियों के पद भी सृजित किए गए हैं।

41- वर्ष 2014-15 के दौरान 40 कर्मचारियों को पंचकर्मा में प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा, सरकार ने राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2015-16 से पूर्वस्नातक की सीटों की संख्या 50 से ब़ढाकर 60 कर दी हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान आयुर्वेदिक स्वास्थ्य संस्थानों के 45 नए भवन तथा आयुर्वेदिक अस्पताल का एक भवन पूरा किया गया है।

42- ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने तथा विकास में तेजी लाने के दृष्टिगत मेरी सरकार ने कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। वर्ष के दौरान सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को 70 हजार क्विंटल बीज, 186 मीट्रिक टन कीटनाशक तथा एक लाख मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध करवाए गए हैं। फसल

विविधिकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत 4000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को सब्जी की खेती के अन्तर्गत लाया गया है।

43- वर्ष 2014 के दौरान प्रदेश में खाद्यान्न एवं सब्जी उत्पादन 16.20 लाख टन होने की संभावना है। मेरी सरकार मुख्यमंत्री आदर्श गाँव योजना कार्यान्वित कर रही है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की एक पंचायत में कृषि आधारित अधोसंरचना एवं अन्य कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

44- इस वर्ष पॉलीहाऊस के निर्माण के लिए 111.19 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के साथ सरकार सभी जिलों में डा.वाई.एस. परमार, किसान स्वरोजगार योजना कार्यान्वित कर रही है । इस योजना के अन्तर्गत किसानों को 85 प्रतिशत उपदान प्रदान किया जा रहा है। अभी तक चालू वर्ष के दौरान एक लाख वर्गमीटर क्षेत्र में 421 पॉलीहाउस का निर्माण किया गया है।

45- सरकार किसानों को वर्मी कम्पोस्ट इकाइयां स्थापित करने के लिए 50 प्रतिशत उपदान प्रदान कर रही है। इस वर्ष 11 हजार वर्मी कम्पोस्ट इकाइयां स्थापित की गई है तथा 1530 हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक खेती के अन्तर्गत लाया गया है। प्रदेश में निजी क्षेत्र में चार पर्यावरण नियंत्रित कोल्ड स्टोर स्थापित किए गए हैं।

46- किसानों को बिचौलियों तथा दलालों के चंगुल से बचाने के लिए फलों व सब्जियों के विपणन के लिए 53 मंडियां व उप मंडियां स्थापित की गई हैं। इसके परिणामस्वरूप किसानों व बागवानों को

उनके उत्पाद की बिक्री के बेहतर मूल्य प्राप्त हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त, 9 अन्य मंडियों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

47- बागवानी हिमाचल प्रदेश के आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वर्ष 2014-15 के दौरान 3000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को विभिन्न फलों की खेती के अन्तर्गत लाया गया है तथा 725 हेक्टेयर क्षेत्र को पुष्पोत्पादन व 102 हेक्टेयर क्षेत्र को मसालों की खेती के अन्तर्गत लाया गया है।

48- प्राकृतिक आपदाओं के कारण फलों के नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिये राज्य में मौसम आधारित फसल बीमा योजना कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 2014-15 के दौरान 73 हजार 450 किसानों की सेब की फसल को इस योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया है। इस योजना के तहत 39 हजार 559 किसानों को 8.75 करोड़ रूपये का बीमा लाभ प्रदान किया गया है। प्रदेश में इस योजना को सेब फसल के लिये 17 से 35 विकास खण्डों और आम की फसल के लिए 10 से 42 विकास खण्डों तक बढ़ाया गया है। किन्नू, प्लम और आड़ू जैसे फलों को भी इस योजना में शामिल किया गया है।

49- वर्तमान वर्ष के दौरान बागवानी तकनीकी मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत 9474 किसानों को लाभान्वित किया गया है। लगभग 2.05 लाख वर्गमीटर क्षेत्र को उत्तम गुणवता वाले फूलों एवं सब्जियों की संरक्षित खेती के अन्तर्गत लाया गया है। इसके अतिरिक्त, 17.55 लाख वर्गमीटर क्षेत्र को एन्टी-हेल नेटों के अधीन लाया गया है। प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, और

प्रतिवर्ष 4500 मीट्रिक टन उपज क्षमता वाली 531 वर्मी-कम्पोस्ट इकाईयां स्थापित की गई हैं।

50- मेरी सरकार ने सभी नागरिकों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। इसी तरह, राज्य के किसानों को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने को भी प्राथमिकता दी गई है। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान पेयजल की मांग को पूरा करने के लिए प्रदेश के विभिन्न भागों में नवम्बर, 2014 तक 517 हैंडपंप स्थापित किए गए हैं। दो ब़डी ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाएं जिनमें 84.58 कऱोड रुपये की उठाऊ पेयजल योजना सैंज नाला से घ़डोग, घण्डल एवं साथ लगती पंचायतों का संवर्धन तथा 20.96 कऱोड रुपये की उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना, बसन्तपुर, का पुनर्निमाण किया जा रहा है।

51- 50 शहरी पेयजल आपूर्ति योजनाओं का संचालन और देखरेख का कार्य सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। ब़ढती आबादी के दृष्टिगत हमीरपुर, सरकाघाट, धर्मशाला, नगरोटा बगवां, कांग़डा, मण्डी, मनाली और रामपुर पेयजल योजनाओं का संवर्धन यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी., जबकि नाहन और सुजानपुर पेयजल आपूर्ति योजनाओं का संवर्धन राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किया जा रहा है। ग़ौडा में 132/33 किलोवाट विद्युत सबस्टेशन के आरंभ होने से सोलन शहर और आस-पास के गावों को सुचारू पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। शिमला शहर के लिए जल आपूर्ति संवर्धन हेतु 336 कऱोड

रुपये की परियोजना का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया है।

52- वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 2369 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को लघु सिंचाई और 3552 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को नियंत्रण क्षेत्र विकास जल प्रबंधन के अधीन लाया गया है। 471 हेक्टेयर क्षेत्र को बा़ढ नियंत्रण के लिए उपचारित किया गया है। 8904 हेक्टयेर भूमि के संरक्षण के लिए 922 करो़ड रुपये से स्वां तटीयकरण परियोजना और 180 करो़ड रुपये की लागत से छोंछ खड्ड तटीयकरण योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

53- आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा दिसम्बर, 2014 तक 3825.03 करो़ड रुपये का कुल राजस्व अर्जित किया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 17 प्रतिशत अधिक है। विभाग ने हि.प्र. मुल्य बर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत एकमुश्त कर अदा करने वालों को छो़डकर प्रदेश के सभी व्यापारियों के लिए ई-सेवा उपलब्ध करवाई है।

54- बैरियरों पर भ्ड को कम करने और वस्तुओं के परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिए मालवाहक वाहनों के लिए वस्तुओं की ई-घोषणा सुविधा से अब राज्य से बाहर जाते हुए एसे वाहनो को बैरियर पर रूकने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश में सभी व्यापारियों को वस्तुओं की मोबाईल आधारित घोषणा की वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध करवाई गई है।

55- मेरी सरकार जन समस्याओं के त्वरित निपटारे के साथ लोगों को स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी प्रशासन उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबध्द है। मेरी सरकार ने राज्य, जिला और उपमण्डल स्तरों पर जन समस्या निवारण समितियों का गठन किया है।

56- मेरी सरकार ने स़डक क्षेत्र को हमेशा उच्च प्राथमिकता दी है। स्वतंत्रता के समय जहां प्रदेश में केवल 288 किलोमीटर स़डक नेटवर्क था, आज प्रदेश में स़डकांे की लम्बाई 33,737 किलोमीटर हो गई है। प्रदेश की कुल 3243 पंचायतों में से 3117 पंचायतें पहले ही स़डक मार्गों से ज़ोडी जा चुकी हैं और शेष पंचायतों को भी स़डक से ज़ोडने का कार्य प्रगति पर है। वर्तमान वित्त वर्ष में 245 किलोमीटर नई स़डकों और 27 पुलों के निर्माण के साथ 54 गावों को ज़ोडा गया है। 532 और 740 किलोमीटर स़डकों की क्रमशः जल निकासी और मैटलिंग/टारिंग की गई है। इसके अतिरिक्त वर्तमान वित्त वर्ष में लगभग 2 हजार किलोमीटर स़डकों का आवधिक नवीनीकरण पूरा किया गया है।

57- प्रधानमंत्री ग्राम स़डक योजना के अंतर्गत 100 स़डक निर्माण कार्यों के लिए 246 करो़ड रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। आर.आई.डी.एफ. योजना के अंतर्गत नाबार्ड ने 191 करो़ड रुपये लागत की परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित राज्य स़डक परियोजना का कार्य भी प्रगति पर है।

58- प्रदेश सरकार पर्यटकों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने और पर्यटन क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबध्द

है। प्रदेश सरकार ग्रामीण, साहसिक, धार्मिक और विलास पर्यटन को प्रोत्साहित कर रही है। जहाँ प्रदेश में वर्ष 2004-05 में 65 लाख पर्यटकों की आमद थी, वहीं वर्तमान में यह आंक़डा 163 लाख पर्यटक प्रतिवर्ष पहुंच चुका है।

59- प्रदेश सरकार ने राज्य में समग्र पर्यटन के विकास के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सत्त पर्यटन नीति 2013 अनुमोदित की है। नीति में लघु और मध्यम अवधि की कार्य योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। इसी तरह धर्मशाला तथा इसके आस-पास सत्त पर्यटन सुनिश्चित बनाने के लिए 'धर्मशाला समग्र पर्यटन कार्य योजना तैयार की गई है।

60- निजी उद्यमियों को पर्यटन इकाईयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 15 प्रतिशत पूंजी निवेश अनुदान जो अधिकतम 50 लाख हो सकता है, उपलब्ध करवाया जा रहा है। जनजातीय एवं कठिन क्षेत्रों और पिछ़डी पंचायतों में स्थापित की जा रही नई होटल इकाइयों को 1 अप्रैल, 2013 से 10 वर्ष की अवधि के लिए विलासिता कर में छूट दी गई है। यह सुविधा 1.4.2014 से ग्रामीण क्षेत्र में नई होटल ईकाईयों को भी उपलब्ध करवा दी गई है।

61- प्रदेश सरकार द्वारा नागरिक उड्डयन क्षेत्र को प्रोत्साहित करने हेतु उड्डयन टरबाईन फ्यूल पर लगे वैट को 5 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत कर दिया गया है।

62- युवा शक्ति के उचित मार्गदर्शन हेतु मेरी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उत्कृष्ठ खिला़डियों, पदक विजेताओं और मान्यता

प्राप्त वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में तीन बार भाग लेने वाले खिला़डियों को 3 प्रतिशत रो़जगार योजना के अंतर्गत सीधा रो़जगार प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अभी तक 326 उत्कृष्ठ खिला़डियों को रो़जगार प्रदान किया गया है, जिनमें से 38 खिला़डियों को वर्ष 2014-15 के दौरान रो़जगार दिया गया है। मेरी सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष में अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले 109 खिला़डियों को 94.30 लाख रुपये के नकद पुरस्कार भी प्रदान किए हैं।

63- वर्ष 2014-15 के दौरान प्रदेश के खिला़डियों ने राष्ट्रीय ग्रामीण खेल प्रतिस्पर्धा में बॉक्सिंग में एक स्वर्ण पदक, एक रजत और दो कांस्य पदक, जुड्डो में एक रजत और 4 कांस्य पदक तथा बेडमिंटन में एक कांस्य पदक अपने नाम किये हैं।

64- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नोडल क्लब योजना, युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम, युवा उत्सव, युवा कार्य शिविरों और युवा दिवस जैसी अनेक योजनाएं आरंभ की गई हैं। जनवरी, 2015 में असम में आयोजित राष्ट्रीय युवा उत्सव में प्रदेश के 72 युवाओं ने भाग लिया कथक में प्रथम व सितार वादन में तृतीय स्थान अर्जित किया।

65- प्रदेश में जलाशयों और नदी तटीय क्षेत्रों में 12,427 से अधिक लोग मत्स्य व्यवसाय से जुडे हैं। प्रदेश में 49 मत्स्य सहकारी समितियां हैं, जिनमें 6,284 सदस्य हैं। प्रदेश में दिसम्बर, 2014 तक 54.74 करो़ड

रुपये के मूल्य की 6479.22 मिट्रिक टन मछली का उत्पादन किया गया है।

66- मेरी सरकार के सतत् प्रयासों से दुग्ध उत्पादन 1170 हजार टन, जबकि ऊन उत्पादन 1661 टन तक पहुंच गया है।

67- विकासात्मक गतिविधियों में तीव्रता लाने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 28.55 करो़ड रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वर्तमान वित्त वर्ष में पशु चिकित्सा अधिकारियों के 72 पद भरे गए हैं। मिल्कफेड द्वारा दूध के खरीद मूल्य में एक रुपये की ब़ढौतरी की गई है। ऊन खरीद दरों में भी 7.5 प्रतिशत की ब़ढौतरी कर इसे 32.5 रुपये किया गया है। 8 पशु अस्पतालों और 51 पशु औषधालयों के सुदृढीकरण और निर्माण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

68- पशु चिकित्सा संस्थानों में गुणात्मक कृत्रिम गर्भाधान सेवा के लिए तरल नाइट्रोजन संयंत्र की समयबध्द आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 6.07 करो़ड रुपये की लागत से कांग़डा जिला के पालमपुर और शिमला जिला के घनाहट्टी में आधुनिक तरल नाइट्रोजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं।

69- दिसम्बर, 2014 के अंत तक प्रदेश में 18307 करो़ड रुपये के निवेश के साथ 40429 औद्योगिक इकाईयां स्थापित हैं, जिनसे 2 लाख 84 हजार, 599 लोगों को रोजगार मिला है। प्रदेश सरकार ने राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 'आमंत्रण से निवेश' की नीति अपनाई है और इसी उद्देश्य से मुम्बई, बंगलुरू और अहमदाबाद में

इन्वेस्टर मीट आयोजित की गईं, जिनमें मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उच्च स्तरीय समिति ने उद्यमियों के साथ राज्य में निवेश करने हेतु विचार-विमर्श हुआ ।

70- प्रदेश के तीव्र औद्योगिकीकरण के लिए मेरी सरकार द्वारा अन्य कदमों के अलावा औद्योगिक सलाहकार परिषद का भी गठन किया गया है। यह परिषद सरकार को उद्योगों से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर अपना परामर्श समय-समय पर प्रदान करेगी ।

71- औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को और गति प्रदान करने के लिए मेरी सरकार द्वारा नियमों तथा उप नियमों का सरलीकरण किया जा रहा है। वैधानिक स्वीकृतियों के लिए समय सीमा निश्चित की जा रही है। उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए उद्यमियों द्वारा देय स्टैम्प डयूटी में 50 प्रतिशत कटौती की गई है और साथ ही विद्युत डयूटी में कटौती व एफ.ए.आर. नियमों में भी ढील प्रदान की गई है। इसके अलावा, औद्योगिक उपयोग के लिए भूमि खरीदने की प्रक्रिया को भी काफी हद तक सरल बनाया गया है।

72- खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत गैर बागवानी उत्पादों के लिए, खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां, एकीकृत कोल्ड चेन स्थापित करने तथा रीफर वाहन खरीदने का प्रावधन किया गया है। इस मिशन के अंतर्गत 31दिसम्बर, 2014 तक 116 स्वीकृत परियोजनाओं के लिए 11.58 करोड़ रुपये की उपदान राशि स्वीकृत की गई है।

73- अवैध खनन पर निगरानी और वैज्ञानिक खनन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लघु खनिजों के लिए नियम बनाए गए हैं। इन नियमों को 43 वर्षों की लम्बी अवधि के उपरांत बदला गया है। प्रदेश सरकार ने लघु खनिजों के खनन एवं नियमन के लिए नये नियमों को भी स्वीकृति प्रदान की है।

74- सन्निर्माण कामगारों के लाभ के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड द्वारा अभी तक 63,387 कामगारों का पंजीकरण किया गया है। इन कामगारों को विभिन्न योजनाओं जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जनश्री बीमा योजना, मातृत्व/पितृत्व लाभ, पेंशन, ऋण, गृह निर्माण व उपकरण खरीदने के लिए अपंगता पेंशन, दो बच्चों की शिक्षा और शादी के लिए वित्तीय सहायता, चिकित्सा सहायता, महिला कामगारों को वाशिंग मशीनें और साइकिलें, इन्डक्शन हीटर के लिए वित्तीय सहायता, सोलर कूकर और सोलर लैंप उपलब्ध करवाने जैसी योजनाओं के अन्तर्गत लाभ प्रदान किए जा रहे है।

75- श्रम विभाग में काग़जी कार्य में कमी लाने के लिए फैक्टरियों के ऑनलाईन पंजीकरण व लाईसेंस के नवीकरण के लिए फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंतर्गत ऑनलाईन फैक्टरी पंजीकरण सूचना प्रणाली विकसित की गई है। अभी तक इससे 1965 पंजीकृत फैक्टरियां लाभान्वित हुई हैं।

76- मेरी सरकार अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबध्द है। दैनिक भोगी कर्मचारियों और अंशकालिक कामगारों के दैनिक भत्ते में प्रथम अप्रैल, 2014 से 20 रुपये प्रतिदिन व 2 रुपये प्रतिघण्टा ब़ढौतरी की गई है। कटाई एवं सिलाई अध्यापकों के भत्तों को 1600 रुपये से ब़ढाकर 2000 रुपये, जबकि गृह रक्षकों के भत्तों को 225 रुपये से ब़ढाकर 260 रुपये प्रतिदिन किया गया है। गृह रक्षकों की रैंक पे में प्रथम जून, 2014 से 20 प्रतिशत की ब़ढौतरी की गई है। पंचायत चौकीदारों के मानदेय को 1 जनवरी, 2014 से 1650 रुपये से ब़ढाकर, 1850 रुपये किया गया है। सभी कर्मचारियों और पेंशनरों के मंहगाई भत्ते में प्रथम जनवरी, 2014 से 10 प्रतिशत की ब़ढौतरी की गई है। निश्चित चिकित्सा भत्ते को भी 250 रुपये से ब़ढाकर 350 रुपये किया गया है। आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के अनुबंध राशि में 25 प्रतिशत की ब़ढौतरी की गई है। तकनीकी शिक्षा विभाग के सहायक प्रवक्ताओं को दी जाने वाली अनुबंध राशि को 21,600 से ब़ढाकर 35 हजार रुपये प्रतिमाह किया गया है। जैसा कि सभी माननीय सदस्य जानते हैं, मेरी सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की स्थापना कर इसे क्रियाशील बनाया है।

77- मेरी सरकार पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के कल्याण के प्रति हमेशा प्रतिबध्द रही है। सैन्य बलों के पेंशनरों के परिवारों के लिए दोहरी पारिवारिक पेंशन को स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश सरकार के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लिए महंगाई राहत में 10 प्रतिशत (80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत) ब़ढौतरी की गई है। प्रदेश में पेंशनरों के लिए 65 वर्ष, 70 वर्ष और 75 वर्ष की आयु होने पर मूल

पेंशन/पारिवारिक पेंशन भत्ते का क्रमशः 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 15 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा पहली बार पेंशनरों की समस्याओं के निपटारे के लिए संयुक्त परामर्श समिति का गठन किया गया है।

78- प्रदेश सरकार ने पंचायतों और नगर निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा और इन संस्थानों के लिए संसाधनों के हस्तांतरण की संस्तुति के लिए पांचवें राज्य वित्त आयोग का भी गठन किया है।

79- मेरी सरकार ने 31 मार्च, 2014 को 6 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने वाले अनुबंध कर्मियों की सेवाएं नियमित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, अनुबंध कर्मचारियों, जिन्हें पूर्व में किसी भी अवकाश की सुविधा नहीं थी, अब विभिन्न तरह के अवकाश का प्रावधान किया गया है। 31 मार्च, 2014 को 7 वर्ष की सेवा अवधि पूरे करने वाले दैनिक भोगी कर्मियों की सेवाएं नियमित करने के संदर्भ में दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। प्रदेश सरकार ने 31 मार्च, 2014 तक 8 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने वाले अंशकालिक कर्मियों की सेवाओं को पूर्ण कालिक देय कर्मियों/दैनिक भोगी कर्मियों में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है।

80- मेरी सरकार प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विशेष रूप से प्रतिबध्द है। प्रदेश सरकार ने 395.47 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ जनजातीय उपयोजना के लिए कुल वार्षिक योजना आबंटन का 9 प्रतिशत निर्धारित किया है।

81- जनजातीय उपयोजना का निर्माण और अनुश्रवण विकेंद्रीकृत तरीके से परियोजना सलाहकार समिति के माध्यम से किया जा रहा है। समिति का नेतृत्व स्थानीय विधायक करते हैं, जबकि इसमें हिमाचल प्रदेश जनजाति सलाहकार परिषद और पंचायती राज संस्थानों के सदस्य शामिल हैं। इस प्रक्रिया से आवश्यकता अनुसार व्यवहारिक योजनाएं बनाने में सहायता मिली हैं।

82- वर्तमान वित्त वर्ष में प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति शांतिपूर्ण रही है। प्रदेश सरकार ने शिमला, धर्मशाला और मण्डी में तीन महिला पुलिस थाने खोले हैं, जिन्होंने कार्य करना आरंभ कर दिया है। इसके अतिरिक्त, प्रदेश सरकार ने दो पुलिस चौकियों को पुलिस थानों में स्तरोन्नत किया है और चार नई पुलिस चौकियां भी खोली गई हैं।

83- सामुदायिक पुलिस योजना की 'समर्थ योजना' के अंतर्गत नवीं व दसवीं कक्षाओं की रिकॉर्ड 82 हजार 943 छात्राओं को निशस्त्र प्रतिरोध प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

84- अपराध एवं अपराधी ट्रेकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली प्रोजेक्ट क्रियान्वित किया जा रहा है तथा इसके एक बार पूरी तरह क्रियाशील होने पर सभी पुलिस थाने और गृह विभाग के अन्य कार्यालय एक दूसरे से ऑनलाईन जुड जाएंगें। यह प्रणाली शिमला शहर के पांच पुलिस थानों में पहले ही आरंभ की जा चुकी है।

85- 'वेतन अर्जन योजना' के अंतर्गत जेलों में बंद कैदियों को रिहाई के उपरांत उनके पुनर्वास और रोजगार प्राप्त करने के लिए विभिन्न ट्रेडों जैसे कप़डा, कंबल, टाटपट्टी, शौलें, दरी बुनना, कारपेंटरी और सिलाई में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

86- मेरी सरकार ने प्रदेश में सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार उन्मुलन का निश्चय किया है और भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो को भ्रष्टाचार उन्मूलन तथा विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में सरकारी धन के रिसाव का पता लगाने का दायित्व दिया गया है। ब्यूरों को निजी व्यक्तियों के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों के विरूद्ध मामले की जांच करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

87- जन साधारण द्वारा ब्यूरो में शिकायत दर्ज करवाने को सुविधाजनक बनाने के लिए 19 सितम्बर, 2014 से टॉल फ्री नंबर- 0177-2629893 क्रियाशील किया गया है। 'एंटी करप्शन हेल्पलाईन' के रूप में टॉल फ्री हेल्पलाईन नंबर '1064' को भी आरंभ किया गया है।

88- प्रदेश में आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए एक राज्य स्तरीय अग्नि प्रशिक्षण केंद्र, 22 अग्निशमन स्टेशन और 9 अग्नि शमन चौकियां क्रियाशील हैं। वर्ष 2014 के दौरान श्री नैना देवी जी में एक नई अग्नि शमन चौकी स्थापित की गई है। कुल्लू जिले के बंजार के लारजी में स्थापित होने वाली अग्निशमन चौकी को शीघ्र ही क्रियाशील बनाया जा रहा है। काला अम्ब में भी अग्निशमन चौकी स्थापित की जा रही है।

89- मेरी सरकार सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए प्रतिबध्द है। प्रदेश सरकार ने द्वितीय विश्वयुध्द के सैनिकों की वित्तीय सहायता को 750 रुपये से ब़ढाकर 2000 रुपये प्रतिमाह किया है। सेना/नौसेना/वायुसेना मैडल एवं मेन्शन-इन-डिस्पैच मैडल धारकों की वार्षिकी को मु0 3000 से ब़ढाकर 5000 कर दिया गया है। इसी तरह सर्वोत्तम युध्द सेवा पदक/उत्तम युध्द सेवा पदक/युध्द सेवा पदक/विशिष्ट सेवा पदक से पुरस्कृत प्रतिष्ठित पदक विजेताओं की वार्षिकी को संशोधित करके प्रथम अप्रैल, 2014 से 3000 से 4000 रुपये प्रतिवर्ष किया गया है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं/आश्रितों को सात करो़ड रुपये के वित्तीय लाभ प्रदान किए गए हैं। सैनिक कल्याण के उप-निदेशक के अनुबन्धित वेतन को 15,700 रुपये से ब़ढाकर 35 हजार रुपये प्रतिमाह किया गया है। सैनिक कल्याण विभाग में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित आधार पर निदेशक का एक पद और अनुबन्ध आधार पर उप-निदेशकों के आठ पद भरे जा रहे हैं।

90- मेरी सरकार पूरे प्रदेश में निर्बाध और गुणात्मक विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करवा रही है। प्रदेश में उपलब्ध 27436 मैगावाट जल विद्युत क्षमता में से कुल 9432 मैगावाट क्षमता का दोहन किया जा चुका है। इसमें से 490 मैगावाट बिजली राज्य क्षेत्र, 6840 मैगावाट केन्द्र व संयुक्त क्षेत्र तथा 1862 मैगावाट निजी क्षेत्र में उत्पादित की जा रही है। इसके अतिरिक्त, 245 मैगावाट बिजली का उत्पादन लघु जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा किया जा रहा है। इस वित्त वर्ष के दौरान प्रदेश में 956 मैगावाट बिजली का अतिरिक्त उत्पादन शुरू हो जाएगा।

91- सुरक्षा पहलुओं के अनुश्रवण के लिये 'बांध सुरक्षा राज्य प्रकोष्ठ' क्रियाशील बनाया गया है।

92- राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित में वित्तीय पुनर्निमाण योजना कार्यान्वित की जा रही है तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत वितरण प्रबन्धन उत्तरदायित्व अधिनियम, 2014 को अधिनियमित किया गया है।

93- मेरी सरकार 5 मैगावाट क्षमता तक की लघु जल विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से चिन्हित 1500 मैगावाट क्षमता के तीव्र दोहन के लिये वचनबध्द है। अभी तक, 1223 मैगावाट क्षमता की 476 विद्युत परियोजनाएं आबंटित की जा चुकी हैं। इनमें से 221 मैगावाट क्षमता की 59 परियोजनाएं क्रियाशील हो चुकी हैं। इसके अलावा, इस वित्त वर्ष के दौरान निजी क्षेत्र में 23.70 मैगावाट क्षमता की छः परियोजनाएं क्रियाशील की गई हैं। 18 मैगावाट की अन्य चार परियोजनाओं को इस वित्त वर्ष के अन्त तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

94- जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अन्तर्गत सार्वजनिक उपयोग के लिये 7410 सौर फोटोवॉल्टिक स्ट्रीट लाईटें स्थापित की गई हैं। हिमऊर्जा द्वारा 90 किलोवाट क्षमता के 45 सौर फोटोवॉलटिक पावर प्लांट स्थापित किये जा चुके हैं। विभिन्न लाभार्थियों को 2 लाख 71 हजार 200 एल.पी.डी. क्षमता के सौर वाटर हीटर उपलब्ध करवाए गए हैं।

95- प्रदेश में वर्तमान में 4759 विभिन्न प्रकार की सहकारी संस्थाएं कार्यरत है जिनमें 15.25 लाख सदस्य तथा 259 करो़ड पूंजीभाग एवं 15340 करो़ड रुपये की पूंजी जमा है। ये संस्थाएं विभिन्न योजनाओं जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मिड-डे-मील, रासायनिक खादों व कृषि उपकरणों का वितरण 2400 विक्री केन्द्रों के माध्यम से प्रभावित ढंग से कार्यान्वित कर रही हैं।

96- बिलासपुर, हमीरपुर और सिरमौर जिलों में 35.47 करो़ड रूपये की परिव्यय एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। 84.71 करो़ड रुपये की तीन नई परियोजनाएं शिमला, कांग़डा और कुल्लू जिलों के लिये स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 16.88 करो़ड रुपये की धनराशि कार्यान्वयन एजेन्सियों को जारी कर दी दी गई हैं।

97- राज्य सरकार द्वारा हथकरघा क्षेत्र में पुनरूत्थान, सुधार एवं पुनर्गठन पैकेज को कार्यान्वित किया गया है। वर्ष 2013-14 के दौरान योजना के अन्तर्गत एक साथ 101 सहकारी सभाओं को शामिल किया गया है और 3.92 करो़ड रुपये के ऋण दावों को माफ करने के लिये अन्तिम रूप दिया गया। इसके अतिरिक्त, बुनकर सभाओं को 3.21 करो़ड रुपये जारी किये गए हैं।

98- सांस्कृतिक गतिविधियों को ब़ढावा देने के उद्देश्य से आगन्तुकों और कलाकारों को लाभान्वित करने के लिये ऊना जिला के समूरकलां में आवश्यक अधोसंरचना सहित बहुद्देशीय सांस्कृतिक

परिसर स्थापित किया जा रहा है। इस परियोजना पर 1.75 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे।

99- हिमाचल प्रदेश में मन्दिरों की एक समृद्व धरोहर है। स्थानीय देवता हमारी देवभूमि के अभिन्न हिस्सा है। राज्य के अनेक मन्दिर इसलिए आय से वंचित हो गए थे, क्योंकि इनकी भूमि मुजारों को निहित हो गई थी । राज्य सरकार ने अब इन मन्दिरों में नित्य पूजा-अर्चना के कार्यों में आने वाले खर्च को पूरा करने के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिये 5 करोड़ रुपये के रिवालविंग फंड का सृजन किया है।

100- माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि एेतिहासिक नगरी शिमला में सांस्कृतिक सक्रियता लाने तथा गेयटी थियेटर परिसर को गुणात्मक सांस्कृतिक एवं नाटय गतिविधियों के लिए एक प्रतिष्ठित केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए 'शिमला सेलिब्रेट्स' शीर्षक से गतिविधियों का वार्षिक कैलेंडर बनाया गया है। यह गतिविधियां शिमला के 150 वर्ष के होने के साथ भी सम्बध्द करती है।

101- विधायक प्राथमिकता वाली योजनाओं के लिए अधिक धन उपलब्ध करवाने के लिए मेरी सरकार ने इस वर्ष के दौरान आर.आई.डी.एफ. के अन्तर्गत ऋण स्वीकृति लक्ष्य को 500 करोड़ से ब़ढाकर 765 करोड़ रुपये किया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान स़डकों व पुलों, लघु सिंचाई, जलापूर्ति और बा़ढ नियंत्रण कार्यों के 765 करोड़ रुपये की 100 से अधिक परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है।

102- मेरी सरकार राज्य के सभी क्षेत्रों विशेषकर पिछडे क्षेत्रों के चहुंमुखी विकास के लिए प्रतिबध्द है। इस उद्देश्य के लिए वर्ष 2014-15 के दौरान इन पिछडे क्षेत्रों के अधोसंरचनात्मक विकास के लिए पिछडा क्षेत्र उप योजना के अन्तर्गत 45 करोड रुपये प्रदान किए गए हैं।

103- 20 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन में हिमाचल प्रदेश का उत्कृष्ट रिकार्ड है। इस कार्यक्रम की प्रगति की राज्य, जिला और जिले से निचले स्तर पर नियमित निगरानी की जा रही है।

104- राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के चार्टर में निहित कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के उददेश्य से माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य में कौशल स्तरोन्नयन परिषद स्थापित की गई है। शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, ग्रामीण विकास और श्रम एवं रोजगार विभागों द्वारा कौशल प्रशिक्षण मुख्य रूप से प्रदान किया जा रहा है। राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं को उनकी रोजगार क्षमता बढाने के लिए कौशल विकास भत्ता भी प्रदान कर रही है। वर्ष 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित 5 लाख युवाओं के कौशल विकास के लक्ष्य की तुलना में राज्य सरकार ने वर्ष 2013-14 तक 1.30 लाख का लक्ष्य हासिल कर लिया है। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान करीब एक लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।

105- मुझे माननीय सदस्यों के साथ यह सांझा करते हुए खुशी हो रही है कि राज्य आय अग्रिम आक्कलनों के आधार पर वर्ष 2013-14 के

लिए राज्य की वृध्दि दर को 6.2 प्रतिशत आंका गया, जबकि राष्ट्रीय वृध्दि दर का यह आक्कलन 4.9 प्रतिशत है। वर्तमान मूल्यों के आधार पर राज्यों की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2013-14 के लिए 92,300 रुपये आंकी गई, जो वर्ष 2012-13 में 83,899 रुपये थी। इसमें 10 प्रतिशत से अधिक की वृध्दि दर्ज की गई है। इसी अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय 74,920 रुपये रही है।

106- प्रदेश में 52 लाख पशुओं के चारे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2014-15 के दौरान 208 हैक्टेयर वन भूमि पर पशु चारे की प्रजातियों का रोपण किया गया है। राज्य में बन्दरों की समस्या से निपटने के लिये 18 जनवरी, 2015 तक 91,468 बन्दरों का बंधीयकरण किया गया है। राज्य में एक लाख से अधिक आबादी को लाभ पहुंचाते हुए 775 गांवों को वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्रों से बाहर किया गया है।

107- लेन्टाना घास का फैलाव प्रदेश में विकराल रूप धारण कर रहा है तथा लगभग ड़ेढ लाख हेक्टेयर वन भूमि इससे प्रभावित है। लेन्टाना चरागाहों में फैल रहा है, जिससे स्थानीय लोगों तथा गद्दी एवं गुज्जर समुदायों की आजीविका प्रभावित हो रही है। प्रभावित क्षेत्रों को लेन्टाना मुक्त बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2014-15 के दौरान 16 करो़ड रुपये की राशि खर्च करके दस हजार हेक्टेयर वन भूमि से लेन्टाना मुक्त किया गया ।

108- वर्ष 2014-15 के दौरान 10 करोड़ रुपये के निवेश से 45 लाख औषधीय पौधे रोपित किये गए हैं। 518 हेक्टेयर वन भूमि पर तीन करोड़ रुपये के निवेश से मृदा एवं नमी संरक्षण कार्य किये गए हैं।

109- ऊना जिले की 96 पंचायतों में जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी (जाईका) द्वारा वित्त पोषित 22 करोड़ रुपये की लागत से स्वां नदी एकीकृत जलागम प्रबन्धन परियोजना का वर्ष 2014-15 के लिए कार्यान्वयन किया जा रहा है।

110- सरकार ने राज्य के सभी नगर निकायों/शहरों और तेजी से विकसित होते क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश नगर नियोजन अधिनियम 1977 के दायरे में लाने का निर्णय लिया है। इन क्षेत्रों के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इससे सुनियोजित मौसम बदलाव के अनुरूप आपदा प्रबन्धन युक्त पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील शहरी बस्तीयों का निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा । इसके अनुसार प्रदेश में 12 नये योजना क्षेत्रों की स्थापना की गई है।

111- सरकार ने प्रदेश में स्टैम्प डियुटी एवं पंजीकरण फीस को एकत्र करने के लिए ई-स्टैंपिंग प्रणाली/ ई -फीस प्राप्ति प्रणाली को कार्यान्वित करने का निर्णया लिया है। प्रदेश की 85 तहसीलों, सवउप तहसीलों को इस प्रणाली के अन्तर्गत लाया गया है।

112- राज्य सरकार यात्रियो के लिए गुणात्मक, प्रतिस्पर्धात्मक और आराम देह परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाने के साथ रोजगार एवं

राजस्व सृजन के लक्ष्य को लेकर कार्य रही है। ऱसडक सुरक्षा और आपातकाल के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। राज्य में परिवहन क्षेत्र के माध्यम से करीब सा़ढेचार लाख लोग अपनी आजीविका अर्जित कर रहे हैं।

113- नई हिम ग्रामीण परिवहन स्वरो़जगार परियोजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बेरो़जगार युवाओं, बेरो़जगार चालकों एवं परिचालकों की सहकारी समितियों तथा विधवाओं को मिनी बसों के रूट परमिट दिए जा रहे हैं।

114- परिवहन विभाग ने परिवहन उपभोक्ताओं और ट्रांसपोर्टरों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऱसडक सुरक्षा गतिविधियों पर विशेष बल देते हुए 10 वर्षों के अंतराल के बाद परिवहन नीति 2014 को अधिसूचित किया है।

115- परिवहन विभाग ने वाहनों की आवाजाही को अनुशासित करने के अतिरिक्त विभिन्न ऱसडक प्रयोगकर्ताओं में जागरूकता उत्पन्न करने के उददेश्य से ध्वनि प्रसार प्रणाली तथा ऱसडक सुरक्षा जिंगल से युक्त तीन इन्सेपटर वाहनों की तैनाती की गई है।

116- हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस फ्लीट को ब़ढाने के लिए 510 नई बसें खरीदी हैं। इसके अतिरिक्त जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत 800 और बसों को शामिल किया जा रहा है।

117- 'स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चैंज' को अंतिम रूप दिया गया है और इसे राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है।

118- प्रदेश सरकार को हरित आवरण और सतत विकास के लिए विश्व बैंक से 100 मिलियन डॉलर का विकास नीति ऋण प्राप्त हुआ है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल और खेतीबा़डी प्रणाली में प्रभावी तकनीकीकरण उत्थान लाने एवं जैव प्रौद्योगिकी नीति दस्तावेज को नया रूप देने के लिए पर्यावरण मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया गया है।

119- मेरी सरकार अपने नागरिकों को घर-द्वार पर सरकारी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिये सूचना एवं संचार तकनीक का बेहतर उपयोग सुनिश्चित कर रही है। सर्विस डिलीवरी गेटवे के माध्यम से 11 विभागों की 38 सेवाओं को ऑन-लाईन किया गया है। राज्य में न्यायालयों और जेलों के मध्य वीडियो कान्फ्रसिंग उपलब्ध करवाने के लिये ई.-पेशी सेवा आरम्भ की गई है।

120- सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता लाने के लिये प्रथम चरण में ई.-कार्यालय प्रणाली को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, हिप्पा, कोषागार विभाग, पुलिस, सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभागों में कार्यान्वित किया जा रहा है। यू.आई.डी. परियोजना के तहत 98 प्रतिशत आबादी का नामांकन किया जा चुका है, और 96 प्रतिशत आधार नम्बरों का सृजन

किया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश मनरेगा में 'सीधा लाभ हस्तांतरण' करने वाला देश का पहला राज्य है। लाभार्थियों के आधार से सम्बध्द बैंक खातों में 54.07 करो़ड रुपये की राशि का सीधा हस्तांतरण सफलतापूर्वक किया जा चुका है।

121- प्रदेश के लोगों को उनके कल्याण के लिये कार्यान्वित की जा रही नीतियों एवं कार्यक्रमों के बारे जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से मेरी सरकार द्वारा नई तकनीकों को अपनाया गया है। सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग ने 'मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफार्म' के माध्यम से नई वर्चुअल मीडिया इकाई स्थापित की है। इसके अतिरिक्त, सरकारी प्रेस विज्ञप्तियों व समाचारों की सुगम पहुंच के लिये मोबाईल फोन एप्लीकेशन को भी आरम्भ किया गया है। राज्य सरकार के विकास प्रयासों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिये 'हिमाचल विकास डायरी' का प्रसारण किया जा रहा है।

122- राज्य के दूर-दराज एवं दुर्गम क्षेत्रों के लोगों को सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के बारे जानकारी प्रदान करने के लिये नवीनतम तकनीक, एलईडी, ध्वनि प्रसार यन्त्रों इत्यादि से सुसज्जित एक मल्टी मीडिया मोबाईल वैन को आरम्भ किया गया है।

123- शहरी स्थानीय निकायों को इस वर्ष के दौरान 70.04 करो़ड रुपये की राशि जारी की गई है। एकीकृत आवास एवं स्लम बस्ती विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के हमीरपुर, धर्मशाला, सोलन, परवाणु, बद्दी, नालाग़ढ, सुन्दरनगर तथा सरकाघाट के लिये 52.83 करो़ड रुपये की आठ परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। योजना के

अन्तर्गत 402 आवास इकाईयों का निर्माण पूरा किया गया है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन प्रदेश के 10 जिलों के मुख्यालयों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

124- शहरी अधोसंरचना विकास योजना के अन्तर्गत छोटे व मध्यम शहरों के लिये भारत सरकार ने जलापूर्ति व मल निकासी की 18 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। शहरी अधोसंरचना नवीनीकरण योजना के अन्तर्गत 13 शहरों के लिये 406 करोड़ रुपये की लागत की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

125- शिमला के कृष्णानगर स्लम क्षेत्र के पुनर्विकास के लिये 34 करोड़ रुपये की एक पायलट परियोजना स्वीकृत की गई है। इस योजना के अन्तर्गत 300 आवासीय इकाईयों का निर्माण किया जा रहा है।

126- सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न शहरी क्षेत्रों की मल निकासी योजनाओं पर 28 करोड़ रुपये व्यय किये जा रहे हैं।

127- मुझे माननीय सदस्यों को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा और इसकी विभिन्न समितियों में पेपर लैस कार्य सुनिश्चित करने के लिये 4 अगस्त, 2014 से ई-विधान प्रणाली आरम्भ की गई। इससे पर्यावरण संरक्षण के अतिरिक्त सालाना 15 करोड़ रुपये की बचत होगी। मैं, इस परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए विधान सभा के माननीय अध्यक्ष व स्टाफ के प्रयासों की सराहना करता हूँ।

128- मेरी सरकार की गत दो वर्षों की उपलब्धियों पर मैंने संक्षेप में प्रकाश डाला है। हमें अपने लोगों की खुशहाली एवं समृध्दि के लिये अभी और अधिक प्रयास करने है। हमारे प्रयासों की हाल ही में जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट में भी सराहना की गई है। बहुत कुछ हासिल कर लिया गया है और अभी अनेकों मील पत्थर स्थापित करने बाकी हैं,

11.3.2015/1100/JT-AG/KS-AV/2

जिसके लिये सतत् प्रयासों की आवश्यकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी सरकार इस खूबसूरत प्रदेश के लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी।

जय हिन्द, जय हिमाचल।

श्रीमती आशा कुमारी ,सभापतिः मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि आपको जो एजैंडा सर्कुलेट हुआ है उसके मुताबिक सदन की बैठक 12.30 बजे अपराह्न पुनः आरम्भ होनी थी। लेकिन मैं आपको सूचित करना चाहती हूं कि अब यह फैसला हुआ है कि इस माननीय सदन की बैठक 11.45 बजे पूर्वाह्न पुन :आरम्भ होगी। धन्यवाद।

11.45बजे पूर्वाह्न श्री बी.जे.नेगी द्वारा जारी--

11.3.2015/1145/negi/jt/1

विधान सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 11 मार्च, 2015 को माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.45 बजे पूर्वाह्न पुनः आरम्भ हुई ।

.....

अध्यक्षः इस बजट सत्र में भाग लेने के लिए मैं, सभी मंत्रीगण व विधायकों का, विशेष कर सदन के नेता श्री वीरभद्र सिंह जी व विपक्ष के नेता प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी का, हार्दिक स्वागत करता हूं। जहां मेरा यह भरसक प्रयास रहेगा कि माननीय सदस्यों को सदन में अपनी-अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर मिले , वहीं मैं आपसे

यह अपेक्षा भी करूंगा कि आप भी नियमों की परिधि में रह कर चर्चाओं को सार्थक बनाने का प्रयास करें ।

साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री, मान्य सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवायेंगे।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं मान्य सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाता हूं जो इस प्रकार है-ः

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी..

111/03.2015.150/यूके/जेटी/1

मुख्य मंत्री----जारी ----

बुधवार, 11 मार्च, 2015 1. शासकीय/विधायी कार्य ।

.2 अनुपूरक बजट प्रथम एवं अन्तिम किस्त वित्तीय वर्ष 2014-15 प्रस्तुतिकरण ।

वीरवार, 12 मार्च .1 2015 ,शासकीय/विधायी कार्य ।

.2 अनुपूरक बजट प्रथम एवं अन्तिम किस्त, वित्तीय वर्ष 2014-15;

i) सामान्य चर्चा;

ii) मांगों पर चर्चा एवं मतदान; और

iii) विनियोग विधेयक-पुरःस्थापना, विचार-विमर्श एवं पारण ।

3. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण- चर्चा ।

शुक्रवार, 13 मार्च, 2015 1 . शासकीय/ विधायी कार्य
.2राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव-चर्चा

111/03.2015.150/यूके/जेटी/2

स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर

अध्यक्षः अब सचिव, विधान सभा उन विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे जिन पर राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है ।

सचिव, विधान सभा :माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्न विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जिन पर राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हैः-

1. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 1);
2. हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 2);
3. हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर द्वितीय संशोधन विधेयक, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 3);
4. हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 4);
5. हिमाचल प्रदेश विद्युत वितरण प्रबंधन उत्तरदायित्व विधेयक , 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 5);
6. हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 6);

111/03.2015.150/यूके/जेटी/3

.7 हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 7);

8. अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 8);
9. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 201 4 (2015 का अधिनियम संख्यांक 9); और
10. हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 10) ।

111/03.2015.150/यूके/जेटी/4

अनुपूरक बजट (प्रथम एवं अन्तिम किस्त) वित्तीय वर्ष 2104-15 का प्रस्तुतिकरण

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री जी, वित्तीय वर्ष 2014-15 की अनुपूरक अनुदान मांगों की (प्रथम एवं अन्तिम किस्त) सदन में प्रस्तुत करेंगे ।

Chief Minister: Respected Speaker, Sir, with your permission, I rise to present the first and final batch of the Supplementary Demands for the year 2014-2015.

These Supplementary Demands for Grants aggregate to Rs. 7753.60 crore. Out of this, Rs. 6078.39 crore is under Non-Plan Schemes, Rs. 269.76 crore under the Plan and Rs. 1405.45 crore under the Centrally Sponsored Schemes.

Under the Non-Plan Expenditure, a sum of Rs. 5782.01 crore for Ways and Means Advance from Reserve Bank of India, Rs. 63.92 crore for Police and its allied organization, Rs. 55.12 crore for Subsidy on Interest to H.P.S.E.B., Rs. 28.75 crore for Social Security Pension, Rs. 18.52 crore for 2014 Lok Sabha Elections and printing of electoral rolls, photo identity cards to voters as well as to clear the liability of elections, Rs. 18.04 crore for Rural Development under 13th Finance Commission Grant and State Finance Commission Award, Rs. 13.09 crore for General Education and Rs. 12.87 crore has been kept for Natural Calamities.

11.03.2015/11.45-50-55/bjn-uk-jt-ag-5

Major expenditure proposed under the Plan Schemes are: Rs.

51.63 crore for Water Supply and Irrigation Scheme, Rs. 47.62 crore for Investment of State share in Hydro Power Projects, Rs. 32.99 crore for GIA to HRTC and Construction of Bus Stand, Rs. 29.03 crore under Scheduled Caste Sub-Plan for execution of developmental works in various Departments, Rs. 24.50 crore for maintenance and construction of Road and Bridges, Rs. 21.70 crore for GIA to H.P. University, Sarav Shiksha Abhiyaan and Rashtriya Uchhater Shiksha Abhiyaan has been kept.

Under different Centrally Sponsored Schemes, most of it is for funding on-going or new schemes for which money has been received during the year from the Government of India. Prominent among this are Rs. 355.43 crore for MGNREGA, Rs. 159.07 crore for Channelization of Swan River, Rs. 146.92 crore for National Rural Health Mission, Rs. 117.55 crore for Sarav Shiksha Abhiyaan, Rs. 89.12 crore for National Rural Drinking Water Programme, Rs. 84.40 crore for PMGSY, Rs. 42.35 crore for Integrated Child Development Services are proposed.

Speaker, Sir, I have given a broad outline of some of the important Supplementaries. Complete details are given in the document presented in this august House.

With these words, I request this august House to pass these Supplementary Demands for Grants.

"Jai Hind" - "Jai Himachal".

एस0एल0एस0 द्वारा जारी

11.03.2015/1155/SLS-AG-1

अध्यक्ष : अब इस माननीय सदन की बैठक वीरवार, 12 मार्च, 2015 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **सुन्दर सिंह वर्मा**
दिनाँक 11 : मार्च, 2015 **सचिव**